

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2248]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2018/ज्येष्ठ 30, 1940

No. 2248]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2018/JYAISTHA 30, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 जून, 2018

का.आ. 2983(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में का. आ. 2115 (अ), दिनांक 6 जुलाई 2017, के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुपालन में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

क्रम संख्या:1) अनुसूची के कॉलम (5) में "28 जून 2018" को "31 दिसम्बर 2018" से प्रतिस्थापित करें।

[संदर्भ: पव/ 377/2018-19]

सी.वी. सिंह, अपर महानिदेशक

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th June, 2018

S.O. 2983(E).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the

Gazette of India, Extraordinary vide S.O.2115 (E) dated 6 July 2017 in pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, of the Gazette of India.

Sl. No. 1) column (5) of schedule – Substitute **"31 Dec. 2018"** for **"28 June 2018"**

[Ref: PUB/3/7/2018-19]

C. B. SINGH, Addl. Director General